

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : आईडीबीआई टॉवर,

डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड,

मुंबई - 400 005.

टेलिफोन : (+91 22) 6655 3355, 2218 9111

फैक्स : (+91 22) 2218 0411 वेबसाइट : www.ldbl.com IDBI Bank Limited Regd. Office: IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade,

Mumbai - 400 005.

TEL.: (+91 22) 6655 3355, 2218 9111

FAX : (+91 22) 2218 0411 Website : www.idbi.com

19 सितंबर 2019

The Manager (Listing)

BSE Ltd.,

25th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers,

Dalal Street, Fort,

Mumbai - 400 001

The Manager (Listing)

National Stock Exchange of India Ltd.,

Exchange Plaza, 5th Floor,

Plot No.C/1, G Block,

Bandra Kurla Complex, Bandra(E),

Mumbai – 400 051

Dear Sir,

Postal Ballot Notice

In terms of Regulation 30 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, we forward herewith a copy of the Postal Ballot Notice being issued to the Members of the Bank for passing special resolution in connection with Preferential Allotment of equity shares to Government of India and Life Insurance Corporation of India.

Additionally, September 13, 2019 (end of day) has been fixed as the cut off date for reckoning the voting rights for Members voting by Postal Ballot Form or on e-voting platform, subject to the provisions of Banking Regulation Act, 1949. Voting period shall commence on Monday, September 23, 2019 (9 a.m. IST) and ends on Tuesday, October 22, 2019 (5 p.m. IST).

Kindly acknowledge receipt and take the above intimation on record.

भवदीय,

कृते आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

[पवन अग्रवाल]

म. प्र. एवं कंपनी सचिव



आईडीबीआई बैंक लिमिटेड CIN L65190MH2004GOI148838 पंजीकृत कार्यालय - आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई - 400 005 फोन-(022) 66552779 / 66552711 ईमेल - idbiequity@idbi.co.in, वेबसाइट-www.idbibank.in

<u>डाक मतपत्र सूचना</u>

प्रिय सदस्य(यो),

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 22 के साथ पिठत कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 के अनुसरण में नीचे मद संख्या 1 एवं 2 के अंतर्गत प्रस्तुत संकल्पों में से प्रत्येक को डाक मतपत्र द्वारा विशेष संकल्प के रूप में पारित करने का प्रस्ताव है:

विशेष कारोबार

मद सं.1 : एलआईसी और भारत सरकार को इक्विटी शेयर का अधिमानी निर्गम

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे विशेष संकल्प के रूप में पारित करना :

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 42, 62 (1) (ग) तथा अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, बैंक के संस्था अंतर्नियम, सेबी (आईसीडीआर) विनियमन, 2018 तथा अन्य लाग् विधि(यों), यदि कोई हों के अनुसरण में तथा इस संबंध में अपेक्षित होने पर सांविधिक/विनियामक प्राधिकरणों के अनुमोदन, यदि कोई हों, की शर्त के अधीन और इस प्रकार के अन्मोदन प्रदान करने के लिए उनके दवारा निर्दिष्ट किए जानेवाले निबंधनों, शर्तों एवं आशोधनों के अधीन बैंक के शेयरधारकों दवारा बैंक के निदेशक मंडल को भारतीय जीवन बीमा निगम ("एलआईसी") और भारत सरकार ("जीओआई") को अधिमानी आबंटन आधार पर 20 सितंबर 2019 की संगत तारीख के संदर्भ में गणना किए गए मूल्य पर प्रत्येक 10/-



IDBI BANK LIMITED

CIN L65190MH2004GOI148838

Regd. Office - IDBI Tower, WTC Complex,
Cuffe Parade, Mumbai- 400 005,
Phone-(022) 66552779 / 66552711
e-mail: idbiequity@idbi.co.in,
website-www.idbibank.in

POSTAL BALLOT NOTICE

Dear Member(s),

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013 read with Rule 22 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014, the Resolutions appended below under Items No.1 and 2 are proposed to be passed as Special Resolutions, each by way of Postal Ballot:-

Special Business

<u>Item No.1: Preferential Issue of Equity Shares</u> to LIC and Govt. of India

To consider and, if thought fit, to pass, the following resolution as Special Resolution:

"RESOLVED THAT, pursuant to Sections 42, 62(1)(c) and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, the Banking Regulation Act, 1949, Articles of Association of the Bank, SEBI (ICDR) Regulations, 2018 and other applicable law(s), if any and subject to approval of statutory/regulatory bodies, if any, as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting their approval, the consent of Shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank to create, offer, issue and allot such number of equity shares of ₹10/- each, at a price to be calculated with reference to the Relevant Date of

रुपये के 4743 करोड़ रुपये (प्रीमियम राशि सहित, यिद कोई हो) मूल्य के इक्विटी शेयर एलआईसी को (इस प्रकार से कि एलआईसी की शेयरधारिता आबंटन के पश्चात् बैंक की बढ़ी हुई चुकता पूंजी में 51% तक हो जाए) तथा भारत सरकार को 4557 करोड़ रुपये (प्रीमियम राशि सहित, यिद कोई हो) मूल्य राशि के इक्विटी शेयर सृजित करने, पेशकश करने, निर्गमन करने और आबंटित करने हेतु और सेबी (आईसीडीआर) विनियम 2018 के अध्याय V के प्रावधानों के अनुसार अधिमानी आबंटन के अंतर्गत उक्त निर्गमित पूंजी की राशि बैंक की वर्तमान चुकता शेयर पूंजी में जोड़ने के लिए सहमित दी जाए और एतद्वारा यह सहमित दी जाती है."

"यह भी संकल्प किया जाता है कि बैंक के निदेशक मंडल को ऐसे सभी कृत्य, कार्य या अन्य चीज़ें, जो उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए अपेक्षित हों या आवश्यक समझी जाएं या उनसे प्रासंगिक हों, करने या करवाने के लिए इस संबंध में अपने प्राधिकार को बैंक के एमडी एवं सीईओ अथवा बैंक के किसी अधिकारी (अधिकारियों) को प्रत्यायोजित करने के लिए प्राधिकृत किया जाए तथा एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है."

मद सं.2 : बैंक की प्राधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि

निम्नितिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे विशेष संकल्प के रूप में पारित करना :

"संकल्प किया जाता है कि संस्था के अंतर्नियम के अनुच्छेद 6 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13, 14 तथा 61 के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा अन्य विधियों, यदि कोई हों, के लागू प्रावधानों के अनुसरण में बैंक की प्राधिकृत शेयर पूंजी को 15000 करोड़ रुपये (प्रत्येक 10/- रुपये के 1500 करोड़ इक्विटी शेयरों में विभाजित) से बढ़ाकर 25000 करोड़ रुपये (प्रत्येक 10/- रुपये के 2500 करोड़ इक्विटी शेयरों में विभाजित) करने तथा उसके परिणामस्वरूप इसमें नीचे दिए अनुसार आईडीबीआई बैंक लि. के संस्था के बहिर्नियम के खंड V तथा संस्था के अंतर्नियम के अन्च्छेद 3 में

September 20, 2019 aggregating upto ₹ 4743 crore (inclusive of premium amount, if any) to LIC (such that the shareholding of LIC post allotment aggregates upto 51% of Bank's expanded Paid-up Capital) and aggregating upto ₹ 4557 crore (inclusive of premium amount, if any) to Govt. of India on preferential allotment basis, in terms of the provisions of Chapter V of SEBI (ICDR) Regulations, 2018, the amount of said capital issued under the Preferential Allotment, to be added to the existing paid-up share capital of the Bank."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board of Directors of the Bank be and is hereby authorized to do or cause to be done all such acts, deeds and other things including delegating its authority in this regard to MD & CEO or any other officer(s) of the Bank, as may be required or considered necessary or incidental thereto, for giving effect to the aforesaid resolution."

Item No.2: Increase in Authorized Share Capital of the Bank.

To consider and, if thought fit, to pass, the following resolution as Special Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Sections 13, 14 and 61 of the Companies Act, 2013 read with Article 6 of the Articles of Association and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 or other laws, if any, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the increase in the Authorised Share Capital of the Bank from ₹15000 crore (divided into 1500 crore equity shares of ₹10/- each) to ₹25000 crore (divided into 2500 crore equity shares of ₹10/- each) and to the consequential amendments as stated hereunder to Clause V of the Memorandum of Association and Article 3 of the Articles of Association of IDBI Bank Ltd.:

होने वाले संशोधनों के लिए बैंक के शेयरधारकों की सहमति प्रदान की जाए और एतद्वारा यह सहमति प्रदान की जाती है:

संस्था के बहिर्नियम का संशोधित खंड V

कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 25000,00,00,000/- रुपये (पच्चीस हजार करोड़ रुपये मात्र) होगी जो प्रत्येक 10/- रुपये मूल्य के 2500,00,00,000/- इक्विटी शेयरों में विभाजित होगी.

संस्था के अंतर्नियम का संशोधित खंड 3

कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 25000,00,00,000/- रुपये (पच्चीस हजार करोड़ रुपये मात्र) होगी जो प्रत्येक 10/- रुपये मूल्य के 2500,00,00,000/- इक्विटी शेयरों में विभाजित होगी."

"यह भी संकल्प किया जाता है कि बैंक के निदेशक मंडल को ऐसे सभी कृत्य, कार्य या अन्य चीज़ें, जो उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए अपेक्षित हों या आवश्यक समझी जाएं या उनसे प्रासंगिक हों, करने या करवाने के लिए इस संबंध में अपने प्राधिकार को बैंक के एमडी एवं सीईओ अथवा बैंक के किसी अधिकारी (अधिकारियों) को प्रत्यायोजित करने के लिए प्राधिकृत किया जाए तथा एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है."

पंजीकृत कार्यालयः बोर्ड के आदेश से आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, कृते आईडीबीआई बैंक लिमिटेड आईडीबीआई टॉवर,

डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स,

कफ परेड,

म्ंबई - 400 005.

(पवन अग्रवाल)

दिनांक: 19 सितंबर 2019

कंपनी सचिव

Amended Clause V of the Memorandum of Association

The authorised share capital of the company shall be ₹25000,00,00,000/- (Rupees Twenty Five Thousand Crore Only) divided into 2500,00,00,000 equity shares of ₹ 10/- each.

Amended Clause 3 of the Articles of Association

The authorised share capital of the Company shall be ₹25000,00,00,000 (Rupees Twenty Five Thousand Crore Only) divided into 2500,00,00,000 equity shares of ₹ 10/- each."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board of Directors of the Bank be and is hereby authorized to do or cause to be done all such acts, deeds and other things including delegating its authority in this regard to MD & CEO or any other officer(s) of the Bank, as may be required or considered necessary or incidental thereto, for giving effect to the aforesaid resolution."

Registered Office: By Order of the Board
IDBI Bank Limited
IDBI Tower,

By Order of the Board
For IDBI Bank Limited

WTC Complex, Cuffe Parade,

Mumbai - 400 005. (Pawan Agrawal)

Dated: September 19, 2019 Company Secretary

टिप्पणियां :

- डाक मतपत्र सूचना में निर्दिष्ट कारोबार के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न हैं.
- यह स्चना उन सभी सदस्यों को भेजी जा रही
 है जिनके नाम 13 सितंबर 2019 को नेशनल
 सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड
 (एनएसडीएल) / सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज़
 (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) से प्राप्त
 सदस्यों के रजिस्टर/ प्राप्त लाभार्थी स्वामियों
 की सूची में उपलब्ध हैं. डाक मतपत्र के साथ
 नोटिस भेजने का कार्य 22 सितंबर 2019 को
 प्रा हो जाएगा.
- जिन सदस्यों ने कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की हिरत पहल के तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप में दस्तावेज़ प्राप्त करने के लिए अपना ईमेल पता रजिस्टर करवाया है, उन्हें ईमेल द्वारा डाक मतपत्र की सूचना भेजी जा रही है और अन्य सदस्यों को डाक मतपत्र फॉर्म के साथ डाक/क्रियर दवारा सुचना भेजी जा रही है.
- कंपनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 (नियमावली) के नियम 20 एवं नियम 22 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 के अनुसार, डाक मतपत्र सूचना में निर्दिष्ट कारोबार की मदों को डाक मतपत्र दवारा पारित किया जाना है.
- जो सदस्य अपना मत इलेक्ट्रॉनिक रूप से देना चाहते हैं, उनके लिए बैंक कार्वी की रिमोट ई-वोटिंग स्विधा प्रदान कर रहा है.
- बैंक ने डाक मतपत्र और ई-वोटिंग द्वारा मतदान प्रक्रिया को सही एवं पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए सुश्री अपणी गाडगिल और उनकी अनुपस्थिति में मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमणियन एंड कं., कंपनी सेक्रेटरीज़ के किसी अन्य पार्टनर को संवीक्षक नियुक्त किया है.
- सदस्य वोटिंग के लिए सिर्फ एक तरीके अर्थात् या तो भौतिक मतपत्र द्वारा या ई-वोटिंग का चुनाव कर सकते हैं. यदि सदस्य दोनों तरीकों से मतदान करते हैं तो ई-वोटिंग के जरिए किया गया मतदान प्रभावी होगा तथा भौतिक

NOTES:

- Explanatory Statements pursuant to Section 102 of the Companies Act, 2013, in respect of the business specified in the Postal Ballot Notice are annexed hereto.
- The Notice is being sent to all Members, whose names appear on the Register of Members/List of Beneficial Owners as received from National Securities Depository Limited (NSDL)/Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as on September 13, 2019. The dispatch of notice alongwith Postal Ballot Form will be completed on September 22, 2019.
- Members who have registered their email ids for receipt of the documents in electronic mode under the Green Initiative of Ministry of Corporate Affairs, are being sent the Notice of Postal Ballot by email and others are being sent by post/courier along with the Postal Ballot Form.
- In terms of Section 110 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 and Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the Rules), the Items of Business set out in the Postal Ballot Notice are sought to be passed by Postal Ballot.
- The Bank is providing Karvy's remote evoting facility to enable those Members to vote who wish to cast their votes electronically.
- The Bank has appointed Ms. Aparna Gadgil and in her absence any other Partner of M/s S.N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot and e-voting process in a fair and transparent manner.
- Members can opt only one mode of voting,
 i.e., either by physical ballot or e-voting. In
 case Members cast their votes through both
 the modes, voting done by e-voting shall

डाक मतपत्र के जरिए दिया गया वोट अवैध माना जाएगा.

- भौतिक स्वरूप में डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि संलग्न डाक मतपत्र फॉर्म में छपे हुए अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें. विधिवत रूप से भरे हुए डाक मतपत्र फॉर्म 22 अक्तूबर 2019 को शाम 5 बजे तक संवीक्षक के पास पहुँच जाने चाहिए. यदि कोई भी डाक मतपत्र फॉर्म उपर्युक्त समय और तारीख के बाद प्राप्त होता है तो उसे सदस्य से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, के रूप में माना जाएगा.
- डाक मतपत्र के परिणाम की घोषणा 24 अक्तूबर 2019 को या उससे पहले की जाएगी तथा इसे बैंक की वेबसाइट www.idbibank.in पर प्रदर्शित किया जाएगा और साथ ही कंपनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 और 22 के अनुसार इसे कार्वी की वेबसाइट https://evoting.karvy.com पर भी प्रदर्शित किया जाएगा.
- जिन सदस्यों को ईमेल द्वारा डाक मतपत्र सूचना प्राप्त ह्ई है और जो भौतिक स्वरूप में डाक मतपत्र फॉर्म के जरिए अपना मतदान करना चाहते हैं वे बैंक की वेबसाइट www.idbibank.in से डाक मतपत्र फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं या बैंक के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट कार्वी फिनटेक प्रा. लि. (पूर्व में कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि.), कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31-गच्चीबौली फायनेंशियल 32, डिस्ट्रिक्ट, नानकरामग्ड़ा, हैदराबाद - 500032 [टेलीफोन (040) 67162222), टोल फ्री नंबर फ़ैक्स 1800-345-4001, नंबर (040)23420814, ई-मेल: einward.ris@karvy.com] अथवा आईडीबीआई बैंक लि., इक्विटी कक्ष, बोर्ड विभाग, 22वीं मंजिल, आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई-400005 लिखकर प्राप्त कर सकते हैं.
- संकल्प, यदि आवश्यक बहुमत द्वारा पारित हुआ तो, वह पूर्णतः भरे हुए डाक मतपत्र या ई वोटिंग के लिए विनिर्दिष्ट अंतिम तारीख अर्थात् 22 अक्तूबर 2019 को पारित हुआ समझा जाएगा.

prevail and votes cast through physical postal ballot form will be treated as invalid.

- Members desiring to exercise vote by physical postal ballot are requested to carefully read the instructions printed on the attached Postal Ballot Form. Duly completed Postal Ballot Form should reach the Scrutinizer not later than 5 p.m. on October 22, 2019. Any Postal Ballot Form received after this time and date will be treated as if the reply from the Member has not been received.
- The result of the Postal Ballot shall be declared on or before October 24, 2019 and displayed on the Bank's website www.idbibank.in and shall also be displayed website Karvy on the of https://evoting.karvy.com in terms of Rule 20 and 22 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014.
- Members, who have received the Postal Ballot Notice by email and who wish to vote through physical Postal Ballot Form, can download Postal Ballot Form from the Bank's website www.idbibank.in or by writing to Karvy Fintech Pvt. Ltd., (erstwhile Karvy Computershare Pvt. Ltd.) RTA of the Bank, located at Karvy Selenium Tower B, Plot No.31-32, Gachibowli, Financial District, Hyderabad-500032 Nanakramguda, [Tel.No.(040) 67162222, Toll Free No.1800-345-4001, Fax No.(040) 23420814, E-mail: einward.ris@karvy.com] or IDBI Bank Ltd., Equity Cell, Board Department, 22ndFloor, IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai-400 005 (022- 66552779/3336/3062/ 2711/3147).
- The resolutions, if approved by the requisite majority shall be deemed to have been passed on October 22, 2019, i.e., the last date specified for receipt of duly completed Postal Ballot Forms or e-voting.

 ई-वोटिंग की प्रक्रिया एवं पद्धित निम्नानुसार होगी:

[3] बैंक के ऐसे सदस्यों के लिए ई-वोटिंग के संबंध में अनुदेश जिनका डीमैट खाता/ फोलियो संख्या कार्वी की ई-वोटिंग सेवा के लिए पंजीकृत नहीं है और जिनके पास यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं हैं.

- i. ई-मेल खोलें तथा अपनी क्लाईंट आईडी या फोलियो संख्या को पासवर्ड के रूप में प्रयोग करते हुए पीडीएफ फाइल खोलें अर्थात् 'IDBI Bank Limited e-Voting.pdf' को खोलें. उपर्युक्त पीडीएफ फ़ाइल में ई- वोटिंग के लिए आपका यूजर आईडी और पासवर्ड दिया गया है. कृपया नोट करें यह पासवर्ड प्रारंभिक पासवर्ड है.
- ii. यूआरएल https://evoting.karvy.com/ को टाइप करते ह्ए इंटरनेट ब्राउज़र खोलें.
- iii. Shareholder "Login" पर क्लिक करें.
- iv. ऊपर चरण (i) में उल्लिखित अपने यूजर आईडी और पासवर्ड को प्रारंभिक पासवर्ड के रूप में डालें. "Login" पर क्लिक करें.
- v. 'Password change' मेनु खुलेगा. इस पासवर्ड को अपनी पसंद के न्यूनतम 8 अंकों/ अक्षरों या इनसे युक्त नए पासवर्ड से बदलें. कृपया नया पासवर्ड नोट कर लें. इस बात की पुरजोर सिफ़ारिश की जाती है कि आप अपने पासवर्ड को किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं तथा अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने में अत्यंत सावधानी बरतें.
- vi. 'e-Voting' का होम पृष्ठ खुलेगा. "e-Voting"-Active Voting Cycles पर क्लिक करें.
- vii. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के Electronic Voting Event Number (EVEN) को सिलेक्ट करें.
- viii. 'Cast Vote' के खुलते ही आप 'e-Voting' के लिए तैयार हैं. मतदान की अवधि सोमवार, 23 सितंबर 2019 को (सुबह 9 बजे भारतीय समय अनुसार) शुरू होगी और मंगलवार, 22 अक्तूबर 2019 को (शाम 5 बजे भारतीय समय के अनुसार) समाप्त होगी.
- ix. उपयुक्त विकल्प का चुनाव कर अपना मत दें, 'Submit' पर क्लिक करें तथा प्रॉम्प्ट किए जाने पर Confirm पर क्लिक करें.
- x. पुष्टिकरण के बाद, "Vote Cast Successfully" संदेश प्रदर्शित होगा.

- The process and manner of e-voting shall be as follows:
- [A] Instructions in respect of e-voting to Members of the Bank whose demat account / folio number has not been registered for e-voting services of Karvy and who do not have their existing user id and password.
- i. Open e-mail and open PDF file viz; 'IDBI Bank Limited e-Voting.pdf' with your Client ID or Folio No. as password. The said PDF file contains your user ID and password for evoting. Please note that the password is an initial password.
- ii. Launch internet browser by typing the URL: https://evoting.karvy.com
- iii. Click on Shareholder "Login"
- iv. Put your user ID and password as initial password noted in step (i) above. Click Login.
- v. Password change menu appears. Change the password with new password of your choice with minimum 8 digits/characters or combination thereof. Please take note of the new password. It is strongly recommended that you do not share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- vi. Home page of "e-Voting" opens. Click on "e-Voting" - Active Voting Cycles.
- vii. Select Electronic Voting Event Number (EVEN) of IDBI Bank Limited.
- viii. Now you are ready for 'e-Voting' as 'Cast Vote' page opens. Voting period commences on and from Monday, September 23, 2019 (9 a.m. IST) and ends on Tuesday, October 22, 2019 (5 p.m. IST).
- ix. Cast your vote by selecting appropriate option and click on 'Submit' and also 'Confirm' when prompted.
- x. Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.

- xi. यदि आपने कारोबार की मद(दों) पर एक बार मत दे दिया है तो आपको अपना मत संशोधित करने की अन्मति नहीं दी जाएगी.
- xii. संस्थागत सदस्यों (अर्थात् व्यक्ति, एचयूएफ़, एनआरआई आदि से भिन्न) से अपेक्षित है कि वे मतदान करने के लिए विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (ओं) के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ संबंधित बोर्ड संकल्प/ प्राधिकार पत्र आदि की स्कैन प्रति (पीडीएफ़/ जेपीजी फॉर्मेट) को scrutinizer@snaco.net के जरिये संवीक्षक को भेजें और उसकी एक प्रति evoting@karvy.com को भेजें.

[आ] बैंक के ऐसे सदस्यों के लिए ई-वोटिंग के संबंध में अनुदेश जिनका डीमैट खाता/ फोलियो संख्या कार्वी की ई-वोटिंग सेवा के लिए पहले से ही पंजीकृत है.

- यूआरएल https://evoting.karvy.com को टाइप
 करते हुए इंटरनेट ब्राउज़र खोलें.
- ii. Shareholder "Login" पर क्लिक करें. अपनी यूजर आईडी तथा मौजूदा पासवर्ड डालें. (यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हों तो https://evoting.karvy.com पर जाकर "Forgot User Details/ Password" विकल्प का प्रयोग करते हुए आप अपना पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं.)
- iii. "Login" पर क्लिक करें.
- iv. "e-Voting" का होम पेज प्रदर्शित होगा.
 "e-Voting"- Active Voting Cycles पर क्लिक करें.
- 7. कारोबार की मद(दों) के पक्ष में या विपक्ष में अपना मत डालने के लिए आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के E-voting Event Number (EVEN) को सिलेक्ट करें. (कृपया नोट करें कि एक बार मत डालने के बाद उसे संशोधित नहीं किया जा सकता). ईवीईएन के लिए, संकल्प पर वोट किए जाने तक या वोटिंग अवधि की अंतिम तिथि, अर्थात् 22 अक्तूबर 2019 को शाम 5 बजे (भारतीय समय के अनुसार), जो भी पहले हो, की समाप्ति तक आप कार्वी के ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म पर कितनी भी बार लॉग-इन कर सकते हैं. मतदान अवधि सोमवार, 23 सितंबर 2019 को (सुबह 9 बजे भारतीय समय के अनुसार) शुरू होगी और मंगलवार, 22 अक्तूबर

- xi. Once you have voted on the item of business, you will not be allowed to modify your vote.
- xii. Institutional shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI, etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/Authority letter, etc., together with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail: scrutinizer@snaco.net with a copy marked to evoting@karvy.com

[B] Instructions in respect of e-voting to Members of the Bank whose demat account/folio number has already been registered for e-voting services of Karvy.

- i. Launch internet browser by typing URL: https://evoting.karvy.com
- ii. Click on Shareholder Login

Enter your User ID and existing password (If you forgot your password, you can reset your password by using "Forgot User Details/Password" option available on https://evoting.karvy.com)

- iii. Click Login
- iv. Home page of "e-Voting" appears. Click on "e-Voting" - Active Voting Cycles
- v. Select E-Voting Event Number (EVEN) of IDBI Bank Limited for casting your vote in favour or against the Item of Business. (Kindly note that vote once cast cannot be modified). For an EVEN, you can log-in any number of times on e-voting platform of Karvy till you have voted on the resolution or till the end date of voting period, i.e., up to 5p.m. (IST) of October 22, 2019, whichever is earlier. Voting period commences on and from Monday, September 23, 2019 (9 a.m. IST) and ends on Tuesday, October 22, 2019 (5 p.m. IST).

2019 को (शाम 5 बजे भारतीय समय के अनुसार) समाप्त होगी.

- vi. 'Cast Vote' के खुलते ही आप 'e-Voting' के लिए तैयार हैं .
- vii. उपयुक्त विकल्प का चुनाव कर अपना मत दें,

 "Submit" पर क्लिक करें तथा प्रॉम्प्ट किए जाने

 पर "Confirm" पर क्लिक करें.
- viii. यदि आपने संकल्प पर एक बार मत दे दिया है तो आपको अपना मत संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
- ix. संस्थागत शेयर धारकों (अर्थात् व्यक्ति एचयूएफ़, एनआरआई आदि से भिन्न) से अपेक्षित है कि वे मतदान करने के लिए विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(ओं) के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ संबंधित बोर्ड संकल्प / प्राधिकार पत्र आदि की स्कैन प्रति (पीडीएफ़, जेपीजी फॉर्मेट) को scrutinizer@snaco.net के जरिये संवीक्षक को भेजें और उसकी एक प्रति evoting@karvy.com को भेजें.

कृपया नोट करें कि:

- डाक मत पत्र अथवा ई वोटिंग प्लेटफॉर्म के जिरये मतदान करने वाले सदस्यों के लिए मतों के अधिकार विनिर्दिष्ट तारीख (कट ऑफ डेट) अर्थात् 13 सितंबर 2019 की तारीख को बैंक की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होगें तथा यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की शर्तों के अधीन होगा.
- सही पासवर्ड प्रविष्ट करने के पाँच असफल प्रयास के बाद ई-वेटिंग वेबसाइट पर लॉगिन निष्क्रिय हो जाएगा. ऐसी स्थिति में इसे रिसेट करने के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध 'Forgot Password' के विकल्प पर जाना होगा.
- आपके लॉगिन आईडी और मौजूदा पासवर्ड का प्रयोग आपके द्वारा उन कंपनियों द्वारा प्रस्तुत संकल्पों पर विशिष्ट रूप से 'e-Voting' के लिए किया जा सकता है जिनमें आप शेयरधारक हैं.
- इस बात की पुरजोर सिफ़ारिश की जाती है कि
 आप अपने पासवर्ड को किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं तथा उसे पूर्णतः गोपनीय रखें.
- सदस्यगण कृपया नोट करें कि ई-वेटिंग सुविधा
 32 अक्तूबर 2019 की शाम 5.00 (भारतीय
 समय के अनुसार) बजे ब्लॉक कर दी जाएगी.

- vi. Now you are ready for 'e-Voting' as 'Cast Vote' page opens.
- vii. Cast your vote by selecting appropriate option and click on "Submit" and also "Confirm" when prompted.
- viii.Once you have voted on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
- ix. Institutional shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI, etc.) are also required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/Authority letter, etc., together with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail at scrutinizer@snaco.net with a copy marked to evoting@karvy.com

Please note that:

- The voting rights of Members shall be in proportion to their shares in the paid up equity share capital of the Bank as on the **cut-off date**of September 13, 2019 for Members voting by Postal Ballot Form or on e-voting platform, subject to the provisions of Banking Regulation Act, 1949.
- Login to e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key-in the correct password. In such an event, you will need to go to 'Forgot Password' option available on the website to reset the same.
- Your login id and existing password can be used by you exclusively for e-voting on the resolution placed by the companies in which you are the shareholder.
- It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep it confidential.
- Members may kindly note that the e-voting facility shall be blocked forthwith on October 22, 2019 at 5 p.m. (IST).

स्चना का अनुबंध

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के निबंधनों के अनुसार सूचना की मद संख्या 1 के अंतर्गत विशेष कारोबार के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण

भारतीय जीवन बीमा निगम ("एलआईसी") और भारत सरकार ("जीओआई") ने क्रमशः दिनांक 11 सितंबर 2019 भे अपने पत्र द्वारा अनिवार्य विनियामकीय मानदंडों के अनुपालन में बैंक की पूँजी को मजबूत करने के लिए पूँजी के अधिमानी निर्गम के माध्यम से आईडीबीआई बैंक की इक्विटी पूँजी में कुल क्रमशः 4743 करोड़ रुपए और 4557 करोड़ रुपए का अभिदान करने के अपने इरादे को सूचित किया है.

अधिमानी आबंटन के आधार पर एलआईसी और भारत सरकार को कुल क्रमशः 4743 करोड़ रुपए और 4557 करोड़ रुपए (प्रीमियम राशि सहित, यदि कोई हो) के शेयरों के आबंटन के संबंध में 20 सितंबर 2019 की संगत तारीख के संदर्भ में गणना किए गए मूल्य पर प्रत्येक 10 रु. मूल्य के इक्विटी शेयरों को सृजित करने, पेशकश करने, निर्गमन करने और आबंटित करने हेत् कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42, 62(1)(ग) के अधीन शेयरधारकों का अन्मोदन प्राप्त करने का प्रस्ताव है. सेबी (आईसीडीआर) विनियम. 2018 के अध्याय V के प्रावधानों के अन्सार इक्विटी शेयरों के अधिमानी आबंटन को शेयरधारकों दवारा पारित संकल्प की तारीख से 15 दिनों के अंदर अथवा भारत सरकार और/ अथवा अन्य सांविधिक विनियामकीय प्राधिकारी, यदि कोई हो, से अन्मोदन/ अन्मति प्राप्त करने के 15 दिनों के अंदर, जो भी बाद में हो, में पूरा करना आवश्यक है.

इसके अलावा, सेबी (आईसीडीआर) विनियम 2018 के विनियम 163 के अंतर्गत अधिमानी आबंटन से संबंधित विशेष प्रकटनों का उल्लेख शेयरधारकों को भेजे जा रहे नोटिस के साथ संलग्न व्याख्यात्मक विवरण में किया जाना अपेक्षित है जिसे शेयरधारकों की जानकारी के लिए यहाँ नीचे दिया जा रहा है:

ANNEXURE TO THE NOTICE

1. Explanatory Statement in respect of Special Business under Item No.1 of the Notice in terms of Section 102 of the Companies Act, 2013

Life Insurance Corporation of India ("LIC") and Govt. of India ("GoI"), vide their letters dated September 11, 2019 and September 16, 2019 respectively conveyed their intention to subscribe to the equity capital of IDBI Bank aggregating to ₹ 4743 crore and ₹ 4557 crore respectively through Preferential Issue of Capital to shore up Bank's Capital in compliance of the mandatory regulatory norms.

Accordingly, it is proposed to obtain shareholders' approval under sections 42, 62(1)(c) of the Companies Act, 2013 to create, offer, issue and allot such number of equity shares of ₹10/- each, at a price to be calculated with reference to the Relevant Date of September 20, 2019, to LIC & GoI aggregating to ₹ 4743 crore and ₹ 4557 crore (inclusive of premium amount, if any) on Preferential Allotment basis. In terms of the provisions of chapter V of SEBI (ICDR) Regulations, 2018, the Preferential Allotment of equity shares is required to be completed within a period of 15 days from the date of passing of resolution by the shareholders or within 15 days of getting approval/permission of GoI and/ or other statutory/ regulatory authority, if any, whichever is later.

Moreover, specific disclosures relating to the Preferential Allotment as prescribed under Regulation 163 of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018 to be made to the shareholders in the Explanatory Statement annexed to the Shareholders' notice are submitted here-in-below for information of the shareholders:

अधिमानी निर्गम	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-	The obje	
का उद्देश्य	समय पर जारी दिशानिर्देशों के	of the	
	अनुसार बैंक की पूंजी पर्याप्तता	Preferen Issue	
	की गणना करते हुए इसमें वृद्धि	issuc	
	करना.		
जारी की	शेयरधारकों को भारतीय जीवन		
जानेवाली 💮	बीमा निगम और भारत सरकार	Maximi	
विनिर्दिष्ट	को जारी किए जाने वाले इक्विटी	number	
प्रतिभूतियों की	शेयरों की संख्या की सूचना	specifie securiti	
अधिकतम संख्या	समाचार पत्र में विज्ञापन के	be issue	
	माध्यम से और वेबसाइट पर		
	प्रदर्शित कर दी जाएगी, क्योंकि		
	उक्त का निर्धारण दिनांक 19		
	सितंबर 2019 को डाक मतपत्र		
	सूचना जारी होने के बाद किया		
	जाएगा.	Intent o	
ऑफर में	ऑफर में अभिदान करने के लिए	Promote	
अभिदान करने के	निदेशकों या निर्गमकर्ता के प्रमुख	Directors	
लिए प्रवर्तकों,	प्रबंधकीय कार्मिकों का कोई इरादा	Key	
निदेशकों या	नहीं है.	Manager Personne	
निर्गमकर्ता के	एलआईसी के दिनांक 11 सितंबर	the Issu	
प्रमुख प्रबंधकीय	2019 और भारत सरकार के	subscribe	
कार्मिकों का	दिनांक 16 सितंबर 2019 के पत्र	the offer	
इरादा	की शर्तों के अनुसार यह प्रस्ताव		
	किया जाता है कि प्रवर्तक		
	एलआईसी और सह प्रवर्तक भारत		
	सरकार को कुल क्रमशः 4743		
	करोड़ रुपए और 4557 करोड़	The	
	रुपए के शेयर जारी किए जाएं.	sharehol	
अधिमानी निर्गम	अधिमानी निर्गम से पहले	pattern	
से पहले और बाद	आईडीबीआई बैंक लि. की	the Is	
में निर्गमकर्ता की	<u>शेयरधारिता का स्वरूप</u> (यथा 13		
शेयरधारिता का	सितंबर 2019) :	after Preferen	
स्वरूप	शेयरों की सं. प्रतिशत	Issue.	
	भारत 3594165335 46.46		
	सरकार		
	एलआई 3945510389 51.00		
	सी		
	अन्य 196619156 2.54		
	कुल 7736294880 100.00		
	अधिमानी निर्गम के बाद		
	आईडीबीआई बैंक लि. की		
	शेयरधारिता का स्वरूप		
	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड से		

The objects of the Preferential Issue	adequac compute guidelin	agment the by of the ed in terms have issued by of India from	Bank of the Reserve
Maximum number of specified securities to be issued	be issu Corpora of India Shareho Newspa by displ the san after is	mber of equity and to Life I ation of India at will be informablers per Advertisent aying on the way will be dessue of Posta on September 1	nsurance and Govt. ed to the through ment and ebsite as termined l Ballot
Intent of the Promoters, Directors or Key Managerial Personnel of the Issuer to subscribe to the offer	Director Personn subscrib It is p shares to GoI, aggrega and ₹ 4 in term Septemb	is no intent rs or Key Ma el of the Is be to the offer. broposed to is to LIC, the Pron the Co-l ting to ₹ 474 4557 crore res s of LIC's lett ber 11, 2019 an dated Septem	ssue the noter and Promoter 43 crore pectively ter dated and GoI's
The shareholding	Shareh	Preferential olding Patte	ern of
pattern of the Issuer		Bank Ltd. ber 13, 2019):	(as on
before and after the Preferential		No. of shares	% age
Issue.	GoI	3594165335	46.46
	LIC	3945510389	51.00
	Others	196619156	2.54
	Total	7736294880	100.00
	Shareh	Preferential olding Patto ank Ltd.	_
		ost Preferentia olding Pattern	

	पश्चात् शेयरधारिता स्वरूप के बारे में निर्णय सुसंगत तारीख 20 सितंबर 2019 के अनुसार मूल्य के परिकलन के बाद किया जाएगा तथा शेयरधारकों को इसकी सूचना समाचार पत्र में विज्ञापन के माध्यम से और वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दी जाएगी, क्योंकि उक्त का निर्धारण दिनांक 19 सितंबर 2019 को डाक मतपत्र जारी होने के बाद किया जाएगा.
समय-सीमा जिसके भीतर अधिमानी निर्गम का कार्य पूरा कर लिया जाएगा.	अधिमानी निर्गम का कार्य(i) विशेष संकल्प पारित होने अर्थात् 22 अक्तूबर 2019 से अथवा (ii) अधिमानी निर्गम के संबंध में भारत सरकार तथा/ किसी अन्य सांविधिक/ विनियामक प्राधिकरण से अनुमोदन, यदि कोई हो, प्राप्त होने पर 15 दिन के भीतर पूरा कर लिया जाएगा.
के अंतिम रूप से लाभार्थी स्वामी हैं और/या जो प्रस्तावित आबंटितियों, अधिमानी निर्गम पूँजी के बाद अपने द्वारा धारित किए जाने वाले प्रतिशत को नियंत्रित करते हैं तथा अधिमानी निर्गम के परिणामस्वरूप निर्गमकर्ता के	
परिवर्तन, यदि कोई हो. इस आशय का वचन कि	लागू नहीं, क्योंकि बैंक के शेयर मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में

	Bank Ltd. will be determined after calculation of price with reference to the Relevant Date of September 20, 2019, and will be informed to the Shareholders through Newspaper Advertisement and by displaying on the website as the same will be determined after issue of Postal Ballot Notice on September 19, 2019.
The time within which the Preferential Issue shall be completed	The Preferential Allotment shall be completed within 15 days from the later of (i) date of passing of the proposed Special Resolution, i.e., October 22, 2019 or (ii) receipt of approval/ permission, if any, from GoI and/ or any other statutory/ regulatory authority in respect of Preferential Issue of Equity.
Identity of the natural persons who are the ultimate beneficial owners of the shares proposed to be allotted and/or who ultimately control the proposed allottees, the percentage of post preferential issue capital that may be held by them and change in control, if any, in the issuer consequent to the preferential issue	Life Insurance Corporation of India and Govt. of India are the ultimate beneficial owners of the shares proposed to be allotted through the Preferential Issue. The percentage of post preferential issue capital that may be held by them will be informed to the Shareholders through Newspaper Advertisement and by displaying on the website as the same will be determined after issue of Postal Ballot Notice on September 19, 2019. Consequent to the Preferential Issue, there will not be any change in control as LIC and GoI will continue to be the Promoter and Co-Promoter of the Bank.
Undertaking that the	Not Applicable, as the shares of the Bank have been listed on a

निर्गमकर्ता इन	छब्बीस सप्ताह से अधिक समय
विनियमों के	से सूचीबद्ध हैं
प्रावधानों के	
अनुसार,	
आवश्यकतानुसार	
विनिर्दिष्ट	
प्रतिभूतियों के	
मूल्य की	
पुनर्गणना करेंगे.	
इस आशय का	लागू नहीं, क्योंकि बैंक के शेयर
वचन कि यदि	मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में
मूल्य की	छब्बीस सप्ताह से अधिक समय
पुनर्गणना के	से सूचीबद्ध हैं.
आधार पर राशि	
का भुगतान इन	
विनियमों में	
निर्दिष्ट समय-	
सीमा के भीतर	
नहीं किया जाता	
है तो विशिष्ट	
प्रतिभूतियों को	
आबंटितियों द्वारा	
इनकी राशि का	
भुगतान करने	
तक लॉक्ड-इन	
रखा जाएगा.	
सेबी	लागू नहीं, क्योंकि बैंक, इसके
(आईसीडीआर)	प्रवर्तकों और निदेशकों को
विनियम, 2018	, ,
की अनुसूची VI	किया गया है.
में विनिर्दिष्ट	
प्रकटन, यदि	
निर्गमकर्ता या	
इसके कोई	
प्रवर्तक या	
निदेशक इरादतन	
चूककर्ता हैं.	
सांविधिक लेखा	अधिमानी निर्गम के लिए मूल्य
परीक्षकों के	की गणना सेबी (आईसीडीआर)
प्रमाण पत्र की	विनियम, 2018 के विनियम
एक प्रति	164(1) के अंतर्गत सुसंगत
शेयरधारकों की	तारीख 20 सितंबर 2019 के
महासभा में	अनुसार की जाएगी (अर्थात् डाक
रखना जिसमें यह	मतपत्र के अंतर्गत मतदान पूरा
प्रमाणित करने	होने से 30 दिन पहले अर्थात् 22
	लग रा उठ ।५०। यहल जयात् 22

Issuer shall re-compute the price of the specified securities in terms of the provisions of these regulations where it is required to do so.	recognized stock exchange for more than twenty six weeks.
Undertaking that if the amount payable on account of the recomputation of the price is not paid within the time stipulated in these regulations, the specified securities shall continue to be locked in till the time such amount is paid by the allottees.	Not Applicable, as the shares of the Bank have been listed on a recognized stock exchange for more than twenty six weeks.
Disclosures specified in Schedule VI of SEBI (ICDR) Regulations , 2018, if the issuer or any of its promoters or directors is a wilful defaulter	Not Applicable, as the Bank, its promoters and directors are not declared as wilful defaulter.
To place a copy of the certificate of statutory auditors	The price for Preferential Issue will be computed under Regulation 164 (1) of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018 with reference to the Relevant Date of

पर विचार किया अक्तूबर 2019 जो कि विशेष कि संकल्प पारित किए जाएगा जाने की प्रस्तावित तारीख भी मानी गई है). अधिमानी निर्गम उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में सेबी इन विनियमों में (आईसीडीआर) विनियम 2018 के की गई अपेक्षाओं विनियम 163(2) के अंतर्गत के अनुसार किया अपेक्षित लेखा-परीक्षक का जा रहा है. प्रमाणपत्र स्संगत तारीख 20 सितंबर 2019 के बाद जारी किया जाएगा तथा यह डाक मतपत्र के तहत वोटिंग की प्रक्रिया प्री करने की तारीख तक किसी भी कार्य दिवस को पूर्वाहन 11.00 बजे से अपराहन 3.00 बजे के बीच बैंक के पंजीकृत कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगा. परीक्षक का प्रमाणपत्र बैंक वेबसाइट www.idbibank.in और कार्वी की वेबसाइट https://evoting.karvy.com पर भी प्रदर्शित किया जाएगा. जहाँ विनिर्दिष्ट उक्त डक्विटी शेयर भारतीय प्रतिभृतियाँ जीवन बीमा निगम और भारत प्रतिफल के लिए सरकार से नकद राशि की प्राप्ति नकदी को छोड़कर पर जारी किये जाएंगे. अधिमानी आधार जारी की पर 충. जानी उन विचाराधीन आस्तियों, जिनके लिए इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे, का मूल्यांकन स्वतंत्र मूल्यांककों से करवाया जाएगा, जिसे स्टॉक एक्सचेंज में प्रस्त्त किया जाएगा जहां निर्गमकर्ता के

शेयर सूचीबद्ध हैं.

संकल्प

तारीख

जिसके

विनिर्दिष्ट

स्संगत तारीख 20 सितंबर 2019 है

(अर्थात् प्रस्तावित विशेष संकल्प

पारित करने की तारीख 22 अक्तूबर

पहले).

2019 से 30 दिन

विशेष

स्संगत

को

करेगा

before the general meeting of the shareholders, considering the proposed preferential issue certifying that the issue being is made in accordance with the requirements these regulations.

September 20, 2019 (i.e. the date 30 days prior to the date of completion of voting under Postal Ballot, i.e., October 22, 2019 also deemed to be the date of passing the proposed Special Resolution)

In view of the above, Auditors' Certificate required Regulation 163 (2) of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018 will be issued after the Relevant Date of September 20, 2019 and will be made available for inspection at the Registered Office of the Bank between 11 a.m. and 3 p.m. on any working day upto the date of completion of voting under Postal Ballot. The Auditor's Certificate will also be displayed on the website of the Bank www.idbibank.in and website of Karvy- https://evoting.karvy.com

Where the specified securities are issued on a preferential basis for consideration other than cash, the valuation of the assets in consideration for which the equity shares are issued shall be done by independent valuer, which shall be submitted to the stock exchanges where the equity shares of the issuer

The equity shares will be issued against the consideration in cash to be received from Life Insurance Corporation of India and Govt. of India.

The special resolution shall specify the relevant date on the basis of

are listed

The Relevant Date is September 20, 2019 (i.e. the date 30 days before the date of passing of proposed special resolution on October 22, 2019).

आधार पर
परिवर्तनीय
प्रतिभूतियों के
रूपान्तरण
/परिवर्तन के बाद
आबंटित किए
जाने वाले
इक्विटी शेयरों के
मूल्य की गणना

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विशेष संकल्प डाक मतपत्र के माध्यम से पारित किया जाएगा, मूल्य की गणना सुसंगत तिथि 20 सितंबर 2019 के अनुसार की जाएगी और शेयरधारकों को इसकी सूचना समाचार पत्र में विज्ञापन के माध्यम से और वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दी जाएगी, क्योंकि उक्त का निर्धारण दिनांक 19 सितंबर 2019 को डाक मतपत्र सूचना जारी होने के बाद किया जाएगा.

निदेशक मंडल द्वारा इस संबंध में एक विशेष संकल्प पारित करके उपर्युक्त प्रयोजन के लिए शेयरधारकों के अनुमोदन की मांग की जाती है.

बैंक का कोई भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी बैंक में अपनी शेयरधारिता, यदि कोई है, की सीमा के सिवाय उपर्युक्त विशेष संकल्प को पारित करवाने में, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में, वित्तीय या अन्य रूप में, संबद्ध या हितबद्ध नहीं हैं.

2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के निबंधनों के अनुसार सूचना की मद संख्या 2 के अंतर्गत विशेष कारोबार के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण

प्रस्तावित संकल्प का उद्देश्य कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13, 14 और 61 के साथ पठित संस्था अंतर्नियम के अंतर्नियम 6 तथा उसमें बनाए गए नियमों के अनुसार बैंक की प्राधिकृत पूंजी 15000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 25000 करोड़ रुपये (10/- रुपये प्रत्येक के 2500 करोड़ इक्विटी शेयरों में विभाजित) करने तथा भविष्य में बैंक की चुकता पूँजी बढ़ाने के लिए पर्याप्त अवसर हेतु बैंक के संस्था बहिर्नियम के खंड V और संस्था अंतर्नियम के खंड 3 में परिणामी संशोधन करने, जैसाकि सूचना की मद संख्या 2 के अंतर्गत प्रस्तावित विशेष संकल्प में उल्लेख किया गया है, के लिए शेयरधारकों से अनुमोदन प्राप्त करना है.

बैंक का कोई भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी बैंक में अपनी which price of the equity shares to be allotted on conversion or exchange of convertible securities shall be calculated

In view of the fact that Special Resolution will be passed through Postal Ballot, the price will be calculated with reference the Relevant Date of September 20, 2019 and will be informed to the Shareholders Newspaper Advertisement and by displaying on website as the same will be determined after the issue of Notice Postal Ballot on September 19, 2019.

The shareholders' approval is sought by Board of Directors for the above purpose by passing a Special Resolution in this regard.

None of the Directors or Key Managerial Personnel of the Bank or their relative is, directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of aforesaid Special Resolution except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank.

2. Explanatory Statement in respect of the Special Business under Item No.2 of the Notice in terms of Section 102 of the Companies Act, 2013

The Proposed Resolution aims at according shareholders' approval to the increase in Authorised Share Capital of the Bank from ₹ 15000 crore to ₹25000 crore (divided into 2500 crore equity shares of ₹ 10/- each) in terms of Article 6 of the Articles of Association read with Sections 13, 14 and 61 of the Companies Act, 2013 and Rules made therein and to the consequential amendment in Clause V of the Memorandum of Association and Clause 3 of the Articles of Association of the Bank as indicated in the proposed Special Resolution contained under Item No.2 of the Notice, in order to give sufficient room for increase in the paid-up share capital of the Bank in future.

None of the Directors or Key Managerial Personnel of the Bank or their relative is, directly शेयरधारिता, यदि कोई है, की सीमा के सिवाय उपर्युक्त विशेष संकल्प को पारित करने में, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में, वित्तीय या अन्य रूप में, संबद्ध या हितबद्ध नहीं हैं.

पंजीकृत कार्यालयः बोर्ड के आदेश से आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, कृते आईडीबीआई बैंक लिमिटेड आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड,

मुंबई - 400 005. **(पवन अग्रवाल)** दिनांक: 19 सितंबर 2019 **कंपनी सचिव** or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of aforesaid Special Resolution except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank.

Registered Office: By Order of the Board
IDBI Bank Limited For IDBI Bank Limited

IDBI Tower,

WTC Complex, Cuffe Parade,

Mumbai - 400 005. (Pawan Agrawal)

Dated: September 19, 2019 Company Secretary